2022/341

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री घनश्याम गोयल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी सदर बाजार जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 61 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.09.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 14.06.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सदर बाजार आबूपर्वत में स्थित सम्पत्ति, जिसे श्री मोदीराम लाल नथू द्वारा श्री मांगीलाल को सन् 1942 भारदरवा सुद 15 रजिस्ट्री नम्बर 63 के द्वारा बेचान किया गया था। उक्त सम्पत्ति के विक्रय विलेख व पट्टा नम्बर 02 दिनांक 01.11.1901 की सत्यापित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 14.06.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सदर बाजार आबूपर्वत में स्थित सम्पत्ति, जिसे श्री मोदीराम लाल नथू द्वारा श्री मांगीलाल को सन् 1942 भारदरवा सुद 15 रजिस्ट्री नम्बर 63 के द्वारा बेचान किया गया था। उक्त सम्पत्ति के विक्रय विलेख व पट्टा नम्बर 02 दिनांक 01.11.1901 की सत्यापित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 1043 दिनाक 30.08.2022 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया था कि पट्टा संख्या 02 दिनांक 01.11.1901 जिला कार्यालय में उपलब्ध पट्टा बही रेकर्ड अनुसार उपलब्ध नहीं होने से वांछित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (डॉ. भॅवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:30:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner